

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राज थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 5()2021-22/वेटलेण्ड/विकास/प्रमुखसं/ 10767

दिनांक: 28/02/2023

कार्यालय आदेश

विश्व वेटलेण्ड दिवस-2023 के अवसर पर राज्य स्तर पर समस्त जिलो में किये जाने वाले उत्सव/कार्यक्रम के आयोजन हेतु निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 8(3)पर्या/ 2022 दिनांक 21.02.2023 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग को बजट मद 3435-03-102- (08) - (01)- 30-उत्सव, प्रदर्शनियों (राज्य निधि) (योजनाए) मद में राशि रूपय 16.50 लाख के आहरण वितरण अधिकार प्रदत्त करते हुये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः निम्न वन मण्डलो को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आहरण वितरण अधिकार प्रदान करते हुये निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	वन मण्डल	आवंटित राशि (रु. लाखों में)
1	उप वन संरक्षक, अजमेर	0.50
2	उप वन संरक्षक, अलवर	0.50
3	उप वन संरक्षक, बांसवाडा	0.50
4	उप वन संरक्षक, बांरा	0.50
5	उप वन संरक्षक, बाडमेर	0.50
6	उप वन संरक्षक, भरतपुर	0.50
7	उप वन संरक्षक, भीलवाडा	0.50
8	उप वन संरक्षक, बीकानेर	0.50
9	उप वन संरक्षक, बून्दी	0.50
10	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	0.50
11	उप वन संरक्षक, चूरू	0.50
12	उप वन संरक्षक, दौसा	0.50
13	उप वन संरक्षक, धोलपुर	0.50
14	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	0.50
15	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	0.50
16	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	0.50
17	उप वन संरक्षक, जयपुर	0.50
18	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	0.50
19	उप वन संरक्षक, जालोर	0.50
20	उप वन संरक्षक, झालावाड	0.50
21	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	0.50
22	उप वन संरक्षक, जोधपुर	0.50
23	उप वन संरक्षक, करौली	0.50
24	उप वन संरक्षक, कोटा	0.50
25	उप वन संरक्षक, नागौर	0.50
26	उप वन संरक्षक, पाली	0.50
27	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	0.50
28	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द	0.50
29	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	0.50
30	उप वन संरक्षक, सीकर	0.50
31	उप वन संरक्षक, सिरोंही	0.50

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan
Pandey
Designation: Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.02.28 12:04:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3255543



क्र.सं.	वन मण्डल	आवंटित राशि (रू. लाखों में)
32	उप वन संरक्षक, टोक	0.50
33	उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	0.50
	कुल योग:-	16.50

उक्त बजट आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. उक्त राशि का व्यय करते समय RTPP ACT 2013/ Rules 2013/ सुसंगत वित्तीय नियमों/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/ तत्संबंधी नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा जिस प्रयोजन के लिए राशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।
3. उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 5()2021-22/ बटलपड/ विकास/ प्रमुखस/ 10768-817 दिनांक: 28/02/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय 3), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर/वन्यजीव, उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित उप वन संरक्षक
9. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/ संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/ कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/ रक्षा पत्रावला

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan
Pandey
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.02.28 12:04:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3255543

